भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(पेशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

**राज्यसभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2991**
(दिनांक 13.08.2026 को उत्तर देने के लिए)

**मुकदमा रहित पेंशन पारितंत्र**

**2991 डॉ. सिकंदर कुमार:**

क्या **प्रधानमंत्री जी** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) पेंशन संबंधी वादों पर द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला में स्पेशल कैंपेन 3.0, कंपेंडियम ऑफ केस लॉज पेंशन लिटिगेशन और पेंशन लिटिगेशन फ्लायर के शुभारंभ के पश्चात एक मुकदमा रहित पेंशन पारितंत्र निर्मित करने हेतु उठाए गए विशिष्ट कदम क्या हैं;
(ख) क्या मंत्रालय ने पुराने प्रशासनिक तंत्र से विरासत में प्राप्त उन बार-बार उत्पन्न होने वाले विधिक मुद्दों और अप्रचलित विनियमों की पहचान की है जो वरिष्ठ नागरिकों को न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करने हेतु बाध्य करते हैं; और
(ग) क्या पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता संबंधी शर्तों को सरल बनाने के उद्देश्य से, विशेष रूप से विवाह के पश्चात अलग रह रही, तलाकशुदा अथवा दिव्यांग पुत्रियों के संबंध में, कोई विशिष्ट नीतिगत परिवर्तन प्रस्तुत किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा**
**प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री**
**(डॉ. जितेन्द्र सिंह)**

(क) से (ग) पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए नोडल विभाग है। सरकार के निर्देशों के अनुसरण में, मुकदमेबाजी के प्रभावी और कुशल प्रबंधन हेतु पेंशन

मुकदमेबाजी पर द्वितीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें सभी मंत्रालयों/विभागों के, पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी और उसकी मॉनीटरिंग करने वाले नोडल अधिकारियों और पैनल वकीलों के बीच समन्वय बढ़ाने और उनकी क्षमता/कौशल को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें पेंशनभोगियों के कल्याण और सुशासन के लिए पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विचार-विमर्श किया गया और सर्वोत्तम प्रथाओं, प्रणालीगत सुधारों और शिकायत निवारण पर वक्ताओं ने प्रस्तुतियां दी। कार्यशाला में लॉन्च किए गए कंपेंडियम ऑफ केस लॉ और फ्लायर में पेंशन मुकदमेबाजी से निपटने में सर्वोत्तम प्रथाओं और बार-बार उत्पन्न होने वाले विधिक मुद्दों के मामलों में नवीनतम न्यायिक घोषणाओं को रेखांकित किया गया, जो पेंशन संबंधी नीतियों का व्यापक विवरण देता है। कंपेंडियम और फ्लायर द्वारा पेंशन मुकदमेबाजी के प्रबंधन के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित किया गया है। पेंशन मुकदमेबाजी किसी विभाग विशेष द्वारा नहीं की जाती है, अपितु सभी संबंधित विभाग केंद्र सरकार की ओर से मुकदमा लड़ते हैं। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए, विशेष अभियान 3 भी लांच किया गया, जिसमें लंबे समय से लंबित पड़ी शिकायतों/दावों और मुद्दों के निवारण पर ध्यान केंद्रित किया गया। काफी समय से लंबित पड़ी हुई शिकायतों के निवारण के लिए पेंशन अदालतों और अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकों जैसी अन्य पहलों के साथ-साथ, यह अभियान एक प्रयास है जिसके द्वारा शिकायतों का समाधान किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अदालतों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती और मुकदमे कम होते हैं। इसके अलावा, सुपर-सीनियर पेंशनभोगियों सहित सभी पेंशनभोगियों के जीवन को सुविधापूर्ण बनाने के लिए, विभाग विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण और परामर्शों के आधार पर, नियम की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी करता है। विभाग ने सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 जारी किए, इसे संशोधित करने के पश्चात सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 2021 जारी किए। कुटंब पेंशनभोगियों की पात्रता संबंधी शर्तों को सरल बनाने के उद्देश्य से उक्त नियमों के नियम 50 (पूर्ववर्ती नियमावली, 1972 का नियम 54) में तलाकशुदा और दिव्यांग पुत्रियों सहित कुटंब पेंशनभोगियों के कई वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है।

*****